न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
108/14	03.06.2014	04.07.2019

1. शेर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कानी (तिगांवा) तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– प्रार्थी

:: बनाम ::

1. शीशराम उर्फ ओमप्रकाश
2. राजाराम
3. जसवंत पुत्रान प्रभूदयाल
4. सावित्री
5. कलावती
6. सोनादेवी पुत्रीयान प्रभूदयाल
7. मूर्तिदेवी पत्नी यादराम पुत्रवधू प्रभूदयाल
8. बाबूलाल पुत्र यादराम पौत्र प्रभूदयाल
9. अजीत सिंह पुत्र यादराम पौत्र प्रभूदयाल
10. सुनीता पुत्री यादराम पौत्री प्रभूदयाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला–अलवर (राज0)
11. झूथर पुत्र परसादा
12. कलावती पत्नी कृपालराम
13. रामानंद पुत्र कृपालराम
14. सरजीत पुत्र कृपालराम
15. अशोक पुत्र कृपालराम
16. भतेरी पुत्री कृपालराम जाति अहीरान निवासीयान ग्राम कानी (तिगांवा)
17. उप–पंजियक अधिकारी, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
18. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
19. अलवर–भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक संशोधित नाम बडोदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बीबीरानी जरिये शाखा प्रबंधक बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला–अलर राज0

:–अप्रार्थीगण/प्रति0

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.ऐ. आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1. श्री रामफल यादव अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नरहरि व्यास अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थी ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार श्री चिरंजीलाल पुत्र श्री

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

हेतराम जाति अहीर साकिन ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर ने जरिये बैयनामा खरीद की हुई थी। क्रेता चिरंजीलाल पुत्र श्री हेतराम जो कि अप्रार्थी सं0 1 लगात 10 के दादा व पिता थे। चिरंजीलाल की मृत्यु हो गई चिरंजीलाल की विरासत का इंतकाल अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 के पिता व दादा प्रभूदयाल के दर्ज हुई। मगर चिरंजीलाल पुत्र श्री हेतराम अपने जीवनकाल में ही दिनांक 21.07.1965 को एक तहरीरी दस्तावेज बैय कलम लिखतम की मुझे रकम की आवश्यकता है आराजी मुतदाविया में 1/2 भाग मेरी खरीदशुदा कब्जे काश्त की आराजी है जिसको मै अपनी इच्छा से व रकम की गरज होने की वजह से 380/–रूपये शब्देन तीन सौ अस्सी रूपये में बेवचान का सौदा श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जीवनराम जाति अहीर ग्राम कानी (तिगांवा) से किया है और तहरीर इकरार लिख दिया कि मेरा समस्त हक हिस्सा मैने मोहर सिंह के हक में बैचान कर दिया है और इसी तहरीर को बेचानपत्र समझा जावे इस बेचान से मै व मैरे वारिसान हमेशा के लिये पाबंद रहेगे। दिनांक 21.07.1965 से मोहरसिंह जो कि मिन प्रार्थी का सगा पिताजी है बतौर खातेदार काश्तकार हो गया तथा उनकी मृत्यु के पश्चात मिन प्रार्थी बतौर काबिज खातेदार कातश्कार हूं मौके पर दिनांक 21.07.1965 से आज दिन तक शांतिपूर्वक प्रार्थी व प्रार्थी के पिताजी व परिवार वाले काबिज व दखिल होकर बतौर खातेदार काश्तकार होकर काश्त कर रहे है इसलिये मुताबिक तहरीर बेचान पत्र दिनांक 21.07.1965 से लेकर आज तक अप्रार्थीगण की जानकारी से खुल्लम–खुल्ला काबिज काश्त है न्यायालय श्रीमान चाहे तो राजस्व ऐजेन्सी द्वारा बाबत कब्जा, बाबत मौका रिपोर्ट आराजी मुतदाविया की मंगवाये जिससे कि असलियत रोशन हो सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1, 2, 3, 5 लगायत 10 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजी मुतदाविया मैं 1/2 हिस्सा का काबिज काश्त खातेदार चिरंजीलाल पुत्र हेतराम रहा है जो उसकी खरीद शुदा भूमि है तथा चिरंजीलाल के हम प्रतिवादीगण वारिसान है तथा इन्हे मृतक चिरंजीलाल की खरीद शुदा 1/2 हिस्से कि आराजी विरास्त में प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण के बुर्जुग चिरंजीलाल द्वारा कभी कोई तथाकथित तहरीर कभी लिखाई, ना अपने कभी हस्ताक्षर किये, लिखतम के संबन्ध में वादी ने कतेई मिथ्या, मनघडन्त, बनावटी, झूंठा वो गलत तथ्य दर्ज किया है वादी ने फ्रेबिकेटेड, फाल्स, फोर्ज वो रोंग तथाकथित लिखतम तैयार करना दर्ज दावा किया है मृतक चिरंजीलाल जिसने स्वयं ने आराजी को खरीद किया था, उसे उसको (चिरंजीलाल) को बेचान करने की कभी कोई आवश्यकता नही थी, ना चिरंजीलाल ने अपने जीवनकाल में कभी कोई तथाकथित लिखतम नही लिखी और ना कोई रकम प्राप्त की। बकौल वादी सन् 1965 से आज दिन तक वादी ने कभी कोई जिक्र तथाकथित लिखतम के बारे में नही किया। वादी ने चतुराई, चालाकी, छल कपट, बेईमानी वो दुर्भावना से तथाकथित लिखतम बनावटी, नुमाईशी, झूंठी गलत वो फोर्ज को आधार बनाकर कतेई गलत वादपत्र पेश किया है। तथा कानून में ऐसी फोर्ज झूंठी वो गलत लिखतम का जा कि अनस्टाम्पड है ड्यूली स्टाम्पड नही है ना प्रोपरली ड्यूली स्टाम्पड है, ना एडमीशिऐबल इन ऐवीडैन्स है। ऐसी सूरत में कानूनन वादी को वाद दायर करने के लिए प्रतिबन्धित करता है मृतक चिरंजीलाल के जीवनकाल में अथवा मृतक चिरंजीलाल के लम्बे अर्से पूर्व फौत होने वो उसकी विरासत दर्ज होने के समय कभी कोई जिक्र नही होना इस बात का घोतक है कि वादी ने फर्जी कागज पर फर्जी तथाकथित लिखतम तैयार की है जिसका कानून में कोई वजूद नही हे वादी ने वादपत्र में अपने आपको काबिज काश्त होना गलत दर्ज किया है वादी आराजी मुतदाविया पर काबिज काश्त नही है, ना दखिल है ना काश्त है तथा वादी गैरकाबिज गैरवास्ता आराजी मुतदाविया है वादी विरोधाभाषी अभिवचन

उपखण्ड अधिकारी
फोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादपत्र में परमेशिव पजेशन एवं प्रतिकूल कब्जे का मिथ्या रूप से दर्ज करके आया है वादी के पास ना तो परमेशिव पजेशन है ना ही वादी का प्रतिकूल कब्जा है सम्बन्ध इबारत गलत दर्ज की है कानूनन खातेदारी की भूमि पर प्रतिकूल कब्जा का सिद्धान्त लागू होता है ना काश्तकारी कानूनन में इसे मान्यता ही दी है वादी के कोई अधिकार मुतदाविया आराजी में निहित नही है एव ना ही वादी के कोई अधिकार कानूनन रक्षित है वादी वाद दायर करने से ममनू है। एवं वाद वादी कानूनन पिजराई नही है वाद वादी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानो के तहत काबिल खारिज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया सावित नही है ना सुविधा का संतुलन वादी के हक में है ना वादी को कोई अपूरणीय क्षति होती है तो ऐसी सूरत में वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार श्री चिरंजीलाल पुत्र श्री हेतराम जांति अहीर साकिन ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर ने जरिये बैयनामा खरीद की हुई थी। क्रेता चिरंजीलाल पुत्र श्री हेतराम जो कि अप्रार्थी सं0 1 लगात 10 के दादा व पिता थे। चिरंजीलाल की मृत्यु हो गई चिरंजीलाल की विरासत का इंतकाल अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 के पिता व दादा प्रभूदयाल के दर्ज हुई। मगर चिरंजीलाल पुत्र श्री हेतराम अपने जीवनकाल में ही दिनांक 21.07.1965 को एक तहरीरी दस्तावेज बैय कलम लिखतम कि मुझे रकम की आवश्यकता है आराजी मुतदाविया में 1/2 भाग मेरी खरीदशुदा कब्जे काश्त की आराजी है जिसको मै अपनी इच्छा से व रकम की गरज होने की वजह से 380/–रूपये शब्देन तीन सौ अस्सी रूपये में बेवचान का सौदा श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जीवनराम जाति अहीर ग्राम कानी (तिगांवा) से किया है और तहरीर इकरार लिख दिया कि मेरा समस्त हक हिस्सा मैने मोहर सिंह के हक में बैचान कर दिया है और इसी तहरीर को बेचानपत्र समझा जावे इस बेचान से मै व मेरे वारिसान हमेशा के लिये पाबंद रहेगे। दिनांक 21.07.1965 से मोहरसिंह जो कि मिन प्रार्थी का सगा पिताजी है बतौर खातेदार काश्तकार हो गया तथा उनकी मृत्यु के पश्चात मिन प्रार्थी बतौर काबिज खातेदार कातश्कार हूं मौके पर दिनांक 21.07.1965 से आज दिन तक शांतिपूर्वक प्रार्थी व प्रार्थी के पिताजी व परिवार वाले काबिज व दखिल होकर बतौर खातेदार काश्तकार होकर काश्त कर रहे है इसलिये मुताबिक तहरीर बेचान पत्र दिनांक 21.07.1965 से लेकर आज तक अप्रार्थीगण की जानकारी से खुल्लम–खुल्ला काबिज काश्त है न्यायालय श्रीमान चाहे तो राजस्व ऐजेन्सी द्वारा बाबत कब्जा, बाबत मौका रिपोर्ट आराजी मुतदाविया की मंगवाये जिससे कि असलियत रोशन हो सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी कहा कि साबिक खसरा नम्बर 36 जो कि 10 बीघा का है जिसके हाल ख0न0 256 एवं 257 का 1/2 भाग का खातेदार चिरंजीलाल पुत्र हेता था। चिरंजीलाल ने 21.07.1965 को अपने जीवन काल में एक दस्तावेज लिखित वादी के पिता मोहर सिंह के सामने समपत्ती बेचान का प्रस्ताव रखा व 380 रूपये में तहरीर लिखकर प्रोपर्टी बेचदी और तहरीर लिखने के बाद बैयनामा नही हुआ इतने में चिरंजीलाल व मौहर सिंह का स्वर्गवास होगया। प्रतिवादीगण ग्राम जालावास (मुण्डावर) में रहते है। रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम विरास्तन चडता गया मगर ये उस गाँव में रहते है और ना ही वाद भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी के हक में सुविधा का संतुलन सावित है इसलिए दोनो बिन्दु भी साबित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने आर.एल.डब्लू 2005(1) पेज 614 लगायत 619 एवं आर.एल.डब्लू 2007 (2) पेज 1076 लगायत 1082 की नजीर पेश की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

विद्वांन अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी वहस में कहा कि विवादित आराजी मुतदाविया मैं 1/2 हिस्सा का काविज काश्त खातेदार चिरंजीलाल पुत्र हेतराम रहा है जो उसकी खरीद शुदा भूमि है तथा चिरंजीलाल के हम प्रतिवादीगण वारिसान है तथा इन्हे मृतक चिरंजीलाल की खरीद शुदा 1/2 हिस्से कि आराजी विरास्त में प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण के बुर्जुग चिरंजीलाल द्वारा कभी कोई तथाकथित तहरीर कभी लिखाई, ना अपने कभी हस्ताक्षर किये, लिखतम के संवन्ध में वादी ने कतेई मिथ्या, मनघडन्त, बनावटी, झूंठा वो गलत तथ्य दर्ज किया है वादी ने फ्रेविकेटेड, फाल्स, फोर्ज वो रोंग तथाकथित लिखतम तैयार करना दर्ज दावा किया है मृतक चिरंजीलाल जिसने स्वयं ने आराजी को खरीद किया था, उसे उसको (चिरंजीलाल) को बेचान करने की कभी कोई आवश्यकता नही थी, ना चिरंजीलाल ने अपने जीवनकाल में कभी कोई तथाकथित लिखतम नही लिखी और ना कोई रकम प्राप्त की। बकौल वादी सन् 1965 से आज दिन तक वादी ने कभी कोई जिक्र तथाकथित लिखतम के बारे में नही किया। वादी ने चतुराई, चालाकी, छल कपट, बेईमानी वो दुर्भावना से तथाकथित लिखतम बनावटी, नुमाईशी, झूंठी गलत वो फोर्ज को आधार बनाकर कतेई गलत वादपत्र पेश किया है। तथा कानून में ऐसी फोर्ज झूंठी वो गलत लिखतम का जा कि अनस्टाम्पड है डयूली स्टाम्पड नही है ना प्रोपरली डयूली स्टाम्पड है, ना एडमीशिऐबल इन ऐवीडैन्स है। ऐसी सूरत में कानूनन वादी को वाद दायर करने के लिए प्रतिबन्धित करता है मृतक चिरंजीलाल के जीवनकाल में अथवा मृतक चिरंजीलाल के लम्बे अर्से पूर्व फौत होने वो उसकी विरासत दर्ज होने के समय कभी कोई जिक्र नही होना इस बात का घोतक है कि वादी ने फर्जी कागज पर फर्जी तथाकथित लिखतम तैयार की है जिसका कानून में कोई वजूद नही हे वादी ने वादपत्र में अपने आपको काबिज काश्त होना गलत दर्ज किया है वादी आराजी मुतदाविया पर काबिज काश्त नही है, ना दखिल है ना काश्त है तथा वादी गैरकाबिज गैरवास्ता आराजी मुतदाविया है वादी विरोधाभाषी अभिवचन वादपत्र में परमेशिव पजेशन एवं प्रतिकूल कब्जे का मिथ्या रूप से दर्ज करके आया है वादी के पास ना तो परमेशिव पजेशन है ना ही वादी का प्रतिकूल कब्जा है सम्बन्ध इबारत गलत दर्ज की है कानूनन खातेदारी की भूमि पर प्रतिकूल कब्जा का सिद्धान्त लागू होता है ना काश्तकारी कानूनन में इसे मान्यता ही दी है वादी के कोई अधिकार मुतदाविया आराजी में निहित नही है एव ना ही वादी के कोई अधिकार कानूनन रक्षित है वादी वाद दायर करने से ममनू है। एवं वाद वादी कानूनन पिजराई नही है वाद वादी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानो के तहत काबिल खारिज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया साबित नही है ना सुविधा का संतुलन वादी के हक में है ना वादी को कोई अपूरणीय क्षति होती है तो ऐसी सूरत में वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। विद्वांन अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान में सदभावी विवाद है। वादभूमि को किसी भी पक्षकार द्वारा अंतरित किए जाने, उसे नुकसान/हानि पहुँचाने, र्दुव्ययन करने के भय या खतरा के स्थिति में वादभूमि को परिरक्षित व संरक्षित रखा जाना आवश्यक है जिससे मूलवाद के निर्णय तक वादभूमि संरक्षित रहे व उसके वास्तविक मालिक को प्राप्त हो। ऐसे मामलो में वादभूमि के अतंरण या र्दुव्ययन से पक्षकारान के मध्य वाद क्लिष्टता व वाद बहुलता का जन्म होता है जिससे मूल वाद के निर्णय में आवश्यक विलम्ब पैदा होता है, जोकि न्यायोचित नही है। इस संबन्ध में आर.आर. डी. 1984 पेज 492, आर.आर.टी. 2013(2) पेज 825, आर.आर.डी. 2004 पेज 48, आर.आर.डी. 1990 पेज 212, आर.आर.टी.(1) पेज 279 की दलील पेश की।

वहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने 21.07.1965 की लिखित तहरीर दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा की प्रार्थना की थी व वादभूमि पर 1965 से आदिनांक तक

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

स्वयं का कब्जा होना कथन किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90, 30 वर्ष से दस्तावेज के सम्बन्ध में अवधारणा करने की इजाजत देती है। उक्त लिखित की विधि मान्यता त्यतता पर मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाएगा।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का दावा की प्राथमिक स्टेज पर व अस्थाई निषेधाज्ञा के यि के दौरान नकार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। वादभूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण से कौन कब्जा काश्त में है, एडवर्स पजेशन या परमेशिव पजेशन के आधार पर प्रार्थी के अधिकार या नही, उक्त सभी विवाद्यक बिन्दुओं पर मूल वाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्यों के धार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाएगा, मगर प्रार्थी वाद भूमि पर कब्जा काश्त मे है जिस बत प्रार्थी ने वादभूमि में स्वयं व प्रतिवादीगण के अन्य सहखातेदारो के मध्य वर्तमान काश्त वस्था को प्रस्तुत किया है जिससे यह माना जा सकता है कि प्रार्थी को वादभूमि की स्थिति की ानकारी है, यह तभी संभव है जब कोई पक्षकार वादभूमि पर कब्जा काश्त में हो।

अप्रार्थी ने अपने जवाब व बहस में ऐसे तथ्य या जानकारी प्रस्तुत नही की है जिससे उसका वादभूमि पर कब्जा काश्त में होने की परिकल्पना की जा सके।

वर्तमान वाद में पक्षकारान के मध्य वादभूमि के स्वामित्व व कब्जा को लेकर सद्भावी विवाद है। वादभूमि पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी का कब्जा साबित है व प्रार्थी एक लिखित दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाहता है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान में सदभावी विवाद है। वादभूमि को किसी भी पक्षकार द्वारा अंतरित किए जाने, उसे नुकसान /हानि पहुँचाने, दुर्व्ययन करने के भय या खतरा के स्थिति में वादभूमि को परिरक्षित व संरक्षित रखा जाना आवश्यक है जिससे मूलवाद के निर्णय तक वादभूमि संरक्षित रहे व उसके वास्तविक मालिक को प्राप्त हो। ऐसे मामलो में वादभूमि के अंतरण या दुर्व्ययन से पक्षकारान के मध्य वाद क्लिष्टता व वाद बहुलता का जन्म होता है जिससे मूलवाद के निर्णय में अनावश्यक विलम्ब पैदा होता है, जो कि न्यायोचित नही है।

हस्तगत प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी का कब्जा साबित है। प्रार्थी लम्बे समय से एडवर्स पजेशन या परमेशिव पजेशन का आधार पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में है, जिसे मूल वाद के निर्णय तक कायम रखना न्यायसंगत है। वाद के निर्णय से पूर्व वादभूमि के अंतरण से कब्जा अंतरण बाबत विवाद का जन्म होगा। प्रार्थी को कब्जा काश्त से बिना विधिक प्रक्रिया व विधिसम्मत आदेश के बेदखली की सम्भावना उसको अपूरणीय क्षति कारित करेगी व असुविधा भी उत्पन्न होगी।

उपर्युक्त विविचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व दिनांक 03.06.2014 को जारी अन्तरिम आदेश को परिवर्तित कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूध अप्रार्थीगण ताफैसला वाद तक इस अमर की जारी की जाती है कि विवादित आराजी ख0न0 256/5–05, 257/4–15 बीघा वाके ग्राम खोहरा ठाकरान तहसील कोटकासिम (अलवर) को कही दीगर जगह रहन–बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थी के सामलाती हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे ना ही जब्रन बेदखल करे, ना कब्जा करे, ना निर्माण कार्य करे, ना ही अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात का विरासत इंतकाल राजस्व रिकोर्ड्स में अपने नाम दर्ज व मंजूर करावे, मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) सत्यमेव जयते

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner